

सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-2: संविधान निर्माण



संविधान:-

संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है।

संविधान लोगों के बीच आपसी सम्बन्ध तथा लोगों और सरकार के बीच के सम्बन्ध तय करता है।



रंगभेद:-

रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलायी गई, दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी।

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद:-

17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कम्पनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंगभेद शुरू कर दिया।

रंगभेद की नीति के अंतर्गत अश्वेतों पर प्रतिबंध:-

- गोरो की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी।
- परमिट होने पर ही वहाँ काम करने जा सकते हैं।
- काले लोग गोरों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे। इसमें गोरों के गिरजाघर भी सम्मिलित थे।
- अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार न था।

दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम:-

अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रिकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी, आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया।

- यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रहीं।
- दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई।
- अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संघटन और कम्यूनिस्ट पार्टी भी शामिल।
- 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई, उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया।

नेल्सन मंडेला पर मुकदमा:-

- नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया।
- नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई, वह 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, रोबेन द्वीप की जेल में रहे।

नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा:-

नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम ' द लांग वॉक टू फ्रीडम ' है।

अफ्रीका का संविधान:-

अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे।

- यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है।
- 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर - तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है।

संविधान की आवश्यकता:-

- लोकतान्त्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए।
- सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए।
- सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए।
- नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए।
- अच्छे समाज के गठन के लिए।

संविधान के प्रमुख कार्य:-

- साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना।
- स्पष्ट करना की सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा।
- सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना।
- अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना।

भारतीय संविधान का निर्माण:-

- भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था।
- 1858 के बाद से, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके।
- देश ने धर्म के आधार पर हुये बँटवारे की विभीषिका झेली थी।
- 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था।
- 1931 में कराची में हुये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव ये भी रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा।
- इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतन्त्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी कही गयी थी।
- इस तरह से भारतीय संविधान का नीव रखा गया था।
- हालाँकि उस समय ब्रिटीशों का शासन था तो भारत के राजनीति विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते थे।
- उन्हें धीरे-धीरे सभी कार्यसभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा।

संविधान सभा:-

चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज़ को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं।



भारतीय संविधान सभा:-

- भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे।
- संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी।
- इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों – भारत और पाकिस्तान में बँट गया।
- संविधान सभा भी दो हिस्सों में बँट गई – भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।
- भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने 26 नवम्बर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया।
- प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉ भीम राव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया।
- प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संसोधनों पर चर्चा हुआ।
- 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुयी। और उन चर्चा को रेकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया।
- इन्हें Constituent Assembly Debates नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया।
- इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है।

भारतीय संविधान लागू:-

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ:-

- संघीय सरकार
- संसदात्मक सरकार
- प्रभुत्व संपन्न लोकतान्त्रिक राज्य
- पंथ निरपेक्ष राज्य
- मूल अधिकार
- स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायापालिका

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

संविधान संशोधन:-

देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं।

संविधान का दर्शन:-

- संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है।
- जिन मूल्यों ने स्वतन्त्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिये तथा जो इस क्रम में जांच-परख लिए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया।
- भारतीय संविधान की सारी धाराएँ इन्हीं के अनुरूप बनी हैं।
- इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है।

भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द:-

- **पंथ निरपेक्ष:-** नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म अधिकारिक नहीं।
- **गणराज्य:-** शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा।
- **लोकतंत्रात्मक:-** सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं।
- **समता:-** कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं।
- **बंधुता:-** हम सब ऐसा आचरण करें जैसा के एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने।

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 33)

प्रश्न 1 नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें।

- स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था।
- भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हरेक बात पर सहमत थे।
- जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी।
- संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव ही होगी।

उत्तर -

- स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था।
- संविधान सभा के अलग-अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचार थे, किन्तु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने एक समान राय रखी।
- जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होना ही चाहिए।
- यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उस के लिए संसद के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है।

प्रश्न 2 दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में, इनमें से कौन-सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था।

- दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का
- स्त्रियों और पुरुषों का।
- गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का
- रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का

उत्तर – d) रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का प्रश्न 3 लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन-सा प्रावधान नहीं रहता?

- a) शासन प्रमुख के अधिकार
- b) शासन प्रमुख का नाम
- c) विधायिका के अधिकार
- d) देश का नाम

उत्तर – b) शासन प्रमुख का नाम

प्रश्न 4 संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएँ।

i	मोतीलाल नेहरू	a	संविधान सभा के अध्यक्ष
ii	बी.आर. अंबेडकर	b	संविधान सभा के सदस्य
iii	राजेंद्र प्रसाद	c	प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष
iv	सरोजनी नायडू	d	1928 में भारत का संविधान बनाया

उत्तर –

i	मोतीलाल नेहरू	d	1928 में भारत का संविधान बनाया
ii	बी.आर. अंबेडकर	c	प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष
iii	राजेंद्र प्रसाद	a	संविधान सभा के अध्यक्ष
iv	सरोजनी नायडू	b	संविधान सभा के सदस्य

प्रश्न 5 जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें:

1. नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है?

उत्तर – ये शब्द जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में कहे थे। उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य, जब भारत

स्वतन्त्र हो रहा है, आराम करने या सुस्ताने का समय नहीं है बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। भारत की सेवा करने का अर्थ है, दुःख और परेशानियों में पड़े लाखों-करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अन्त। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आँसू पोंछने की है। संभव है

संभव है यह काम हमारे अकेले से पूरा न हो पर जब तक लोगों की आँखों में आँसू हैं, कष्ट है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।

2. नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं?

उत्तर – भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि ऐसे पवित्र क्षण में (जब भारत स्वतन्त्र हो रही है। हम अपने आपको, भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में। समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है।

3. वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे?

उत्तर –जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्माताओं से यह शपथ चाहते थे कि हम अपने आपको भारत और उसके लोगों तथा मानवता की सेवा के लिए समर्पित करें।

4. “हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख के आँसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे?

उत्तर – वे इस कथन में महात्मा गाँधी का जिक्र कर रहे थे।

प्रश्न 6 हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए।

i	संप्रभु	a	सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगी।
ii	गणतंत्र	b	फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है।
iii	बंधुत्व	c	शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।

iv धर्मनिरपेक्ष	d लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।
-----------------	--

उत्तर -

i संप्रभु	b फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है।
ii गणतंत्र	c शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।
iii बंधुत्व	b लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।
iv धर्मनिरपेक्ष	a लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।

प्रश्न 7 कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनैतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनैतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियाँ नया गणतंत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की माँग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें।

उत्तर -

प्रिय मित्र

नेपाल की राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में आपने मुझे जो पत्र लिखा था, उसके सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि लोगों को एक नई संविधान सभा की स्थापना की माँग करनी चाहिए जो नेपाल के लिए गणतंत्रीय संविधान का निर्माण करें और वहाँ पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को समाप्त कर दें। सन् 2005 में नेपाल के सम्राट ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया था और लोगों से समस्त अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ छीन ली थीं, जो उन्हें एक दशक पहले प्राप्त हुए थे।

[नोट : वर्तमान में नेपाल में राजतन्त्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। नेपाल अब एक लोकतांत्रिक गणतन्त्र है।, जिसका एक स्वतन्त्र संविधान है। देश में लोगों को सारे लोकतांत्रिक मानवाधिकार प्राप्त हैं।]

प्रश्न 8 भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग-अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं ?

- अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया।
- हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह-तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था।
- हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

उत्तर – मैं ऊपर दिए गए बिंदुओं को समान महत्व दूंगा। पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई। दूसरे बिंदु ने आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। तीसरा बिंदु दर्शाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण ऐसे तरीके से किया कि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया।

प्रश्न 9 1912 में प्रकाशित 'विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें:

उत्तर – “ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्म रक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है-कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुगृहीत होना चाहिए कि वे अपने आपको पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं।” क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं?

उत्तर – उपरोक्त पंक्तियों में दिए गए सामाजिक मूल्य हमारे संविधान में निहित दर्शन एवं मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। भारत को संविधान समानता, स्वतन्त्रता एवं बंधुत्व की भावना पर जोर देता है। संविधान का प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार उसी तरह प्राप्त है, जिस प्रकार पुरुषों को। स्त्रियाँ पुरुषों के अधीन नहीं हैं। भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति, उद्योग-धन्धे, पुलिस, सेना आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की ख्याति एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में है।

प्रश्न 10 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए।

1. संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है।

उत्तर – यह कथन सत्य नहीं है- एक साधारण कानून संसद द्वारा पास किया जाता है और संसद जब चाहे उसमें अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकती है। इसके विपरीत संविधान के नियमों का महत्त्व अधिक होता है जिन्हें संसद को भी मानना पड़ता है। इन नियमों में परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है।

2. संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा।

उत्तर – यह कथन सत्य है- संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है जिनके अनुसार, संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों को वर्णन संविधान में किया गया है। संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है।

3. नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है।

उत्तर - यह कथन सत्य है- संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है और यदि बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।

4. संविधान संस्थाओं की चर्चा करती है, उसका मूल्यों से कुछ लेना-देना नहीं है।

उत्तर - यह कथन गलत है- संविधान में केवल संस्थाओं का ही वर्णन नहीं किया जाता है बल्कि मूल्यों पर भी जोर दिया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के दर्शन व मूल्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति के गौरव, राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता आदि मूल्यों पर जोर दिया गया है।

SHIVOM CLASSES
8696608541